राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O)

Letter No. CCE/ISDC/RACE/2019/.1354;

Date: 09th October 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः **RACE योजनान्तर्गत जिला संसाधन सहायता समिति द्वारा महाविद्यालयों को दी जाने वाली मानव संसाधन सहायता संबंधी पूर्व निर्देशों में आंशिक संशोधन बाबत।**

सन्दर्भः RACE के आदेश क्रमांक CCE/P&C/ISDC/RACE/2019/946; दिनांक : 12 जुलाई 2019;

महोदय,

लेख है कि सभी जिलों में Resource Assistance & College with Excellence (RACE) योजना के क्रियान्वयन उपरान्त इसकी उपयोगिता को उद्धृत करते हुए अनेकों प्राचार्यों एवं संकाय सदस्यों द्वारा व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर कुछ सुझाव दिये गये, जिनके परिप्रेक्ष्य में सक्षम स्तर से अनुमति उपरान्त इस योजना में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं। इन संशोधनों को तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

1. इस योजनार्न्गत सहायता हेतु वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत मानव संसाधन साझा करने के लिये दूरी सीमा में संशोधन किया गया है। **अब 50 किमी के स्थान पर 70 किमी. की दूरी तक स्थित महाविद्यालयों में DRAC के माध्यम से व्यवस्था करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।** इससे अधिक दूरी होने पर जिला संसाधन सहायता समिति (DRAC) की ओर से आयुक्तालय को प्रस्ताव भेजा जावे, ताकि आयुक्तालय से वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।
2. वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था हेतु मांग आधारित **जीरो पोस्टिंग महाविद्यालयों में शिक्षकों को भेजने की व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुये 01 माह में अधिकतम 06 कार्य दिवस तथा एक सत्र में अधिकतम 18 कार्य दिवस किया जाता है।** अतः अब DRAC द्वारा **संकाय सदस्यों को अध्यापन प्रयोजनार्थ पूर्व निर्देशित 04 दिवस के स्थान पर 06 कार्यदिवस तथा अधिकतम 10 कार्य दिवस के स्थान पर 18 कार्य दिवस के लिये भेजा जायेगा।** यह 18 दिन की अवधि किसी 01 महाविद्यालय अथवा अधिकतम 03 महाविद्यालय में पूरी हो सकती है। परंतु एक माह में यह अवधि 06 दिवस से अधिक नहीं होगी। अर्थात 01 माह में एक व्यक्ति को एक बार 06 दिवस की अवधि के लिये अध्यापन के लिये भेजा जावे, तथा एक व्यक्ति एक सत्र में अधिकतम 03 बार भेजा जा सकता है।
3. **यदि किसी संकाय सदस्य को इस वैकल्पिक अध्यापन व्यवस्था हेतु भेजे जाने की अवधि में उसके द्वारा कोई अवकाश लिया जाता है तो उसकी इस वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था अवधि में तदनुरुप स्वतः वृद्धि हो जायेगी। अतः निर्देशानुसार भेजे जाने पर संबंधित संकाय सदस्य को 06/18 दिवस का अध्यापन कार्य पूर्ण करना होगा।**
4. **प्रवेश कार्य, छात्र–संघ चुनाव एवं परीक्षा कार्य में सहायता हेतु** मांग आधार पर RACE योजनान्तर्गत जिला संसाधन सहायता समिति (DRAC) की बैठक में निर्णय लेकर मानव संसाधन व्यवस्था करवाये जाने के निर्देश जारी किये जा सकते हैं। इस संबंध में DRAC की बैठक में प्रस्ताव लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करें। DRAC की बैठक नहीं हो पाने की स्थिति में इन व्यवस्थाओं का दायित्व RACE नोडल महाविद्यालय का होगा। DRAC अध्यक्ष महाविद्यालय मानव संसाधन स्रोत महाविद्यालय के प्राचार्य से चर्चा एवं सहमति लेकर आदेश जारी करें।
5. इस योजनान्तर्गत **प्रवेश कार्य हेतु आकाशि से यथा निर्देशित अवधि, छात्र संघ चुनाव कार्य हेतु अधिकतम 04 दिवस** तथा **परीक्षा कार्य में सहायता हेतु 06 दिवस** के लिये मांग आधारित महाविद्यालय में भेजा जा सकता है, **परन्तु, यह अवधि शिक्षण कार्य हेतु निर्देशित 06/18 कार्य दिवसों से अतिरिक्त होगी।** यदि DRAC की बैठक

हो चुकी हो तो यह RACE नोडल महाविद्यालय का दायित्व है कि वे छात्रसंघ चुनाव एवं परीक्षा कार्य हेतु DRAC के सदस्य महाविद्यालयों के साथ समन्वय कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करावें। समाधान यदि DRAC की सीमा के परे हो तो समय पूर्व ही आयुक्तालय को सूचित करें ताकि वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश जारी किये जा सके।

6. **किसी विषय में एक संकाय सदस्य कार्यरत होने पर भी उसकी सेवाएं इस योजनान्तर्गत निकटवर्ती जीरो पोस्टिंग महाविद्यालयों में 01 माह में अधिकतम 06 कार्य दिवस तथा एक सत्र में अधिकतम 18 कार्य दिवस के लिये दी जानी हैं।** क्योंकि, जीरो पोस्टिंग वाले महाविद्यालय में उस विषय को पढाने वाला कोई संकाय सदस्य नहीं है, जबकि किसी निकटस्थ महाविद्यालय में अगर एक व्यक्ति भी है तो मांग होने पर जीरो पोस्टिंग वाले महाविद्यालय में उसकी सेवाएं देकर विद्यार्थियों का हित किया जा सकता है। जीरो पोस्टिंग के संबंध में अभिप्राय स्पष्ट है कि इसमें किसी महाविद्यालय में किसी विषय में पद रिक्त हो अथवा पदस्थापित संकाय सदस्य 02 माह या उससे अधिक लंबी अवधि के अवकाश/प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ के कारण महाविद्यालय में उपलब्ध न हो, आदि सम्मिलित हैं।
7. संकाय सदस्यों की मांग आधार पर जीरो पोस्टिंग महाविद्यालयों में सेवाओं को साझा किये जाने के उपरोक्त संशोधन अनुरूप ही पीटीआई/लाईब्रेरियन/कार्यालय स्टॉफ/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/अन्य कार्मिक आदि की सेवाओं को भी अधिकतम 18 दिनों की अवधि के लिये साझा किया जा सकता है, परंतु 01 माह में अधिकतम 06 दिवस के लिये अथवा 03–03 दिवस के लिये एक माह में दो बार भेजा जा सकता है।

उपर्युक्त संशोधन अनुरुप योजना की कियान्विति सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता हेतु आयुक्तालय में RACE योजना प्रभारी डा. विनोद कुमार भारद्वाज से उनके मोबाइल नम्बर 94143 04650 पर कार्यालय समय में सम्पर्क करें।

प्रदीप कुमार बोरड़ IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान

Letter No. CCE/ISDC/RACE/2019/1355-56; **Date: 09th Oct. 2019**

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक HRD/ P&C/ Acad./ Admn./RUSA आकाशि, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं भरतपुर को सम्भाग स्तर पर इस कार्यक्रम की निर्देशानुसार मॉनिटरिंग हेतु।
8. संबंधित महाविद्यालयों के प्रभारी अधिकारी, कालेज समूह, आकाशि, जयपुर को इस कार्यक्रम की महाविद्यालय स्तर पर निर्देशानुसार मॉनिटरिंग करने हेतु।
9. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

9/10/19

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
RACE योजना तथा नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ